राजस्व वाद संख्याः– 219/2022
बलवान बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांकः– 17.06.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी ।।(आर.ए.एस.)

मु0नं0 219/2022

01. बलवान सिंह आयु 65 वर्ष, पुत्र जयकरण, जाति जाट निवासी बनगोठडी खुर्द, तहसील सूरजगढ हाल तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं (राज०)
02. बागाराम आयु 67 वर्ष पुत्र जयकरण, जाति जाट निवासी बनगोठडी खुर्द, तहसील सूरजगढ हाल तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं (राज०)
03. राजपाल आयु 54 वर्ष पुत्र जयकरण, जाति जाट निवासी बनगोठडी खुर्द, तहसील सूरजगढ हाल तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं (राज०)

आवेदकगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिय तहसीलदार तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
02. सोमवीर पुत्र स्व. कंवर सिंह जाति जाट निवासी बनगोठडी खुर्द तहसील सूरजगढ हाल पिलानी जिला झुन्झुनू।

– अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि यह कि जमीन हाल खसरा नम्बर 442 रकबा 2.01 हैक्टर वाके ग्राम बनगोठड़ी खुर्द तहत तहसील सूरजगढ़ हाल पिलानी स्थित है।

यह कि जमीन हाल खरारा नम्बर 70 रकबा 1.47 हेक्टर जमीन हाल खसरा नम्बर 71 रकबा 1.47 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.94 हैक्टर वाके ग्राम बनगोठडी कलां, तहसील, सूरजगढ़ हाल पिलानी स्थित है।

यह कि आवेदकगण सगे भाई है और ग्राम बनगोठड़ी खुर्द के रहने वाले है। आवेदकगण के जायन्दा पिता का सही नाम जयकरण है। आवेदकगण के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, व परिचय पत्र आदि सभी दस्तावेजात मे आवेदकगण के पिता का नाम जयकरण दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमीन वर्णित धारा 1 व 2 आवेदन पत्र के राजस्व रिकार्ड मे आवेदकगण के पिता का नाम जयकरण के स्थान पर गलती से फूलाराम दर्ज कर दिया। आवेदकगण के पिता का नाम फूलाराम न होकर जयकरण है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने लिपिकीय भूलवश आवेदकगण के पिता का नाम जयकरण की जगह फूलाराम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। इस कारण आवेदकगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

यह कि आवेदकगण ने अपने आवेदन पत्र के साथ जमीन वर्णित धारा 1 व 2 आवेदन पत्र का राजस्व रिकार्ड व आवेदकगण के समस्त दस्तावेजात की प्रति आवेदन पत्र के साथ पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 219/2022

बलवान बनाम राजस्थान सरकार

निर्णय दिनांकः– 17.06.2025

यह कि आवेदकगण ने दिनांक 26.08.2022 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल ली तथा उक्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपने हिस्से की जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेजात बैंक में पेश किये तब पता चला कि आवेदकगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में जयकरण की जगह लिपिकीय भूलवश फूलाराम दर्ज हो गया। इस कारण यह आवेदन पत्र अदालत हाजा मे पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन वर्णित धारा 1, व 2 आवेदन पत्र मे आवेदकगण के पिता का नाम फूलाराम की जगह जयकरण दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाकर अनावेदक को राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती बाबत तहरीर भेजी जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अनावेदक की तलबी जारी की गयी। उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में तहसीलदार सुरजगढ से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 08.12.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनने के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी धारा 151 सीपीसी का मय दस्तावेज के साथ पेश किया । जो शामिल पत्रावली किया गया। आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। दिनांक 30.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 02 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 02 को पक्षकार बनाये जाने के बाद आवेदकगण ने तीन पेशियों तक संशोधित टाईटल पेश नही किया।

अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया । पत्रावली वास्ते बहस एवं संशोधित टाईटल हेतु दिनांक 13.06.2025 नियत की गयी। दिनांक 13.06.2025 को पत्रावली में 17.06.2025 नियत की गयी। आवेदकगण के आवेदनपत्र के साथ पेश दस्तावेजात एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पेश किये जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात एवं दोनो पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया।

आवेदकगण द्वारा आवेदनपत्र मे कथन किया कि आवेदकगण के जायन्दा पिता का नाम जयकरण हैं । शैक्षणिक दस्तावेजात, आधार कार्ड, वोटरलिस्ट आदि में आवेदकगण के पिता का नाम जयकरण है।

अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि आवेदकगण के जायन्दा पिता जयकरण नही बल्कि फुलाराम है। आवेदकगण ने बेईमानीपूर्वक जयकरण का सन् 1998 में देहान्त होने के बाद ग्राम बनगोठडी खुर्द एवं गोविन्द सिंह का बास तहसील राजगढ की कृषि भुमि का विरासतन नामान्तरकरण जायज वारिसान कंवरसिंह, धर्मपाल सिंह, ज्ञानाबाई के नाम दर्ज है। ग्राम गोविन्दसिंह का बास तहसील राजगढ में स्थित भुमि का विभाजन करवाया उसमें बलवान सिंह, बागाराम व राजपाल के पिता का नाम फुलाराम है। फुलाराम के वारिसान ने जमीन पर फुलाराम के वारिसान के तौर पर सन् 2012 से 2022 तक रहन बैंक थी एवं 25.07.2022 को रहन मुक्त हुई। बिजली के बिल में बलवन्त पुत्र फुलाराम दर्ज है। बलवान सिंह वगै0 के पिता का नाम पहले मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, राशनकार्ड, आधार कार्ड में फुलाराम दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि आवेदकगण की तीन बहने हवाकोर, रोशनी एवं सुमन है। उनको पक्षकार नही बनाया गया है। धारा 136 के अन्तर्गत त्रुटी सुधार होता हैं। कोई लिपिकीय भुल को सुधारा जाता है। आवेदकगण के पिता का नाम पुराने राजस्व रिकार्ड में परिचय पत्र , आधारकार्ड, वोटरलिस्ट, व परिचय पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजात, में गलत रूप से अपने पिता का नाम जयकरण दर्ज करवाया है। तथा आवेदकगण को राजस्व रिकार्ड के बारे में दिनांक 26.08.2022 को जानकारी गलत है। आवेदकगण फुलाराम के पुत्र बनकर सन् 2007 से 2022 तक बैंको से लोन लिया है तथा जमा करवाते रहे है।

जयकरण पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बनगोठडी खुर्द भारतीय सेना में नौकरी करता था। मोहनगढ जैसलमेर में 25 बिघा जमीन जयकरण को आंवटित हुई। जयकरण के भाई फुलाराम के पुत्र बलवान, बागाराम , राजपाल व बहन रोशनी, हवाकौर, सुमन ने फर्जी दस्तावेजात तैयार कर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सुरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 219/2022
बलवान बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांकः– 17.06.2025

आवंटित जमीन का नामान्तकरण अपने नाम करवाने के लिये बिकानेर में झुठे व फर्जी कार्यवाही शुरू की। जिसमे जयकरण के वारिसानों की जांच लम्बित है।

जयकरण की डिस्चार्ज बुक में चन्दो स्त्री पुत्र कंवर सिंह दर्ज है। बाद में जयकरण के एक पुत्र धर्मपाल व पुत्री ज्ञानबाई हुई। आवेदकगण अपनी वल्दियत परिवर्तन कराना चाहते हैं वल्दियत परिवर्तन करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। आवेदकगण को राजस्व रिकार्ड के बारे में काफी वर्षो से जानकारी थी तथा ग्राम मोहनगढ जैसलमेर की जमीन में आवेदकगण के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है तथा गढ गंगा के पण्डित द्वारा शपथ पत्र में आवेदकगण के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है। इस आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज होने योग्य है ।

आवेदकगण ने सहकारी बैंक से लिये गये लोन में भी पिता का नाम फुलाराम दर्ज है जो लोन माफ हुआ। जिसका प्रमाण तहसीलदार चिडावा द्वारा जारी किया गया बागाराम पुत्र फुलाराम के द्वारा राजगढ चुरू सहकारी बैंक मे लोन माफ हुआ तथा बैंक लोन ले रखा है।

जयकरण की धर्मपत्नी का देहांत 24.10.1984 को हुआ । जयकरण पुत्र रणजीत का देहांत 13.04.1988 को हुआ। बलवान, बागाराम, राजपाल की माता घोटी देवी पत्नी फुलाराम का देहांत 04.02.2007 को हुआ जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। घोटी देवी अगर जयकरण की पत्नी होती तो जयकरण की मृत्यु के पश्चात 19–20 वर्ष तक आर्मी पेशंन क्यों नही है। आर्मी रिकार्ड के अनुसार जयकरण की धर्मपत्नी चन्दो एवं पुत्र कंवर सिंह का नाम दर्ज रिकार्ड है।

आवेदकगण द्वारा ग्रमवासियों का जो शपथपत्र पेश किया है व फर्जी है। उक्त लोगों ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश नही कियें।

उभय पक्षकारान की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त अवलोकन बाद आवेदकगण ने प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। आवेदकगण के पिता का नाम फुलाराम विरासत के आधार पर दर्ज हुआ है। आवेदकगण बलवान सिंह के पिता का नाम फुलाराम भू–प्रबन्ध कार्यवाही में गलती से दर्ज नही है। मौजुदा धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण मे अगर आवेदकगण बलवान सिंह वगै0 के पिता का नाम फुलाराम की बजाय जयकरण राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाता है तो प्राथी सोमवीर व जयकरण के अन्य जायज वारिसान के कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर मे विचाराधीन पत्रावली व उनके हकूक पर विपरित असर पडेगा। धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण में सिर्फ त्रुटि सुधार की जा सकती है। मौजुदा प्रकरण में आवेदकगण ने स्वीकृत रूप से राजस्व रिकार्ड बनवाया है तथा राजस्व रिकार्ड बनने के बाद एडमिशन के तौर पर राजस्व रिकार्ड को काम में लेते हुए कई बार बैंको से लोन लिया है। मौजुदा प्रकरण मे आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नही लिखा है कि वल्दियत की त्रुटि कहां हुई है। आवेदकगण ने विरासत नामान्तकरण का चैलेन्ज नही किया है। धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के प्रकरण के माध्यम सें वल्दियत परिवर्तित नही की जा सकती । अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदकगण ने प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। आवेदकगण के पिता का नाम फुलाराम विरासत के आधार पर दर्ज हुआ है। आवेदकगण बलवान सिंह के पिता का नाम फुलाराम भू–प्रबन्ध कार्यवाही में गलती से दर्ज नही है। मौजुदा धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण मे अगर आवेदकगण बलवान सिंह वगै0 के पिता का नाम फुलाराम की बजाय जयकरण राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाता है तो प्राथी सोमवीर व जयकरण के अन्य जायज वारिसान के कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर मे विचाराधीन पत्रावली व उनके हकूक पर विपरित असर पडेगा। धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रकरण में सिर्फ त्रुटि सुधार की जा सकती है। मौजुदा प्रकरण में आवेदकगण ने स्वीकृत रूप से राजस्व रिकार्ड बनवाया है तथा राजस्व रिकार्ड बनने के बाद एडमिशन के तौर पर राजस्व रिकार्ड को काम में लेते हुए कई बार बैंको से लोन लिया है। मौजुदा प्रकरण मे आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नही लिखा है कि वल्दियत की त्रुटि कहां हुई है। आवेदकगण ने विरासत नामान्तकरण का चैलेन्ज नही किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर

राजस्व वाद संख्याः— 219/2022
बलवान बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांकः— 17.06.2025

धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के प्रकरण के माध्यम सें वल्दियत परिवर्तित नही की जा सकती । अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(श्रीमती सुमन देवी, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़